:: न्यायालय, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, अकलेरा जिला झालावाड़ (राज.) ::

पीठासीन अधिकारी	:	**लक्की सोनी, आर.जे.एस.**
नि.फौ.प्र.सं.	:	304/2016
सीआईएस नं.	:	1153/2016
एफआईआर सं	:	170/2016
सीएनआर नं	:	**RJJW08-000358-2016**

राजस्थान राज्य

--------अभियोगी

बनाम

रायसिंह पुत्र प्रभूलाल उम्र 42 साल निवासी रामपुरिया टोलखेडा थाना भालता जिला झालावाड (राज.)

------अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट

उपस्थित:-

01. अभियोजन अधिकारी, राज्य की ओर से।

02. श्री जुझारसिंह गुर्जर अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक:- 7-03-2026**

01. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि दिनांक 08/11/16 को मन् बृजराज एचसी 986 मय हमराही जाप्ता श्री मुकेश कुमार कानि 1260 व श्री राकेश कुमार कानि 1144 मय जीप सरकारी चालक देवेश कुमार कानि 409 मय अनुसंधान बांक्स के गश्त व नाकाबन्दी अवैध कार्यवाही रोकथाम हेतु थाने से 04.30 पीएम पर रवाना हुवा। गश्त थाना भालता कि बाद गश्त रवाना होकर उमरिया रोड पहुंचां पर जरिये मुखबीर सुचना मिली कि एक व्यक्ति उमरिया जोड पर नंगी तलवार लेकर खड़ा है जो आने जाने वाले राहगीरो को रोक रहा है। सुचना विश्सनीय होने पर हमराही जाप्ता को अवगत कर सुचना मुताबिक सांकेतिक स्थान पर पहुंचा जहां पर एक व्यक्ति खडा नजर आया जो पुलिस की जीप को देखकर भागना चाहा जिसे मन एचसी व जाप्ते की मदद से डिटेन किया जो काफी घबराया हुवा था दाहिना हाथ पीठ के पिछे था जिस पर कोई आपतिजनक वस्तु होने का शंका है। डिटेनशुदा व्यक्ति का नाम पता पुछा तो अपना नाम रायसिह पुत्र प्रभुलाल उम 30 साल निवासी टोलखेडा थाना भालता का होना बताया जिसे घबराने का कारण पूछा तो कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जिसकी तलाशी लेना अतिआवश्यक है। स्वतन्त्र गवाह हेतु श्री मुकेश कुमार कानि 1260 को नोटिस देकर गवाह तलपी हेतु भैजा तो कानि द्वारा कुछ समय बाद बताया कि कोई गवाह नही मिला, आने जाने वाले राहगीरो से गवाह बनने हेतु कहा तो कोई गवाह बनने को तैयार नही हुये कोई कानुनी अड्चन मे नहीं पड़ना चाहते है। हमराही जाप्ते में से श्री मुकेश कुमार कानि 1260 व श्री राकेश कुमार कानि 1144 को गवाह मामुर डिटेनशुदा व्यक्ति की तलाशी ली गई तो पीठ के पीछे पेन्ट की अन्ट मे

बनियान के नीचे छिपाई हुई नंगी तलवार लोहे कि मुठ लगी हुई मिली जो धारदार थी जिसकी मोके पर नाप किया तो धारदार कि लम्बाई 65 सेमी व हत्थे की लम्बाई 12 सेमी निकली जो राज्य सरकारी की विज्ञप्ति अनुसार 10.16 से अधिक होना अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत दण्डनीय अपराध होने से मोके पर ही तलवार को कपडे की थेली में भरकर कपडे की थैली मे रखकर शील्ड़, मोहर कर चिट चस्पा किया। वजह सबुत जप्त कर मार्क ए दिया। अभियुक्त द्वारा अपने कब्जे मे रखने के लिये लाईसेन्स चाहा गया तो कोई लाईसेन्स नही होना बताया। अभियुक्त को धारा 41 क सीआरपीसी का नोटिस दिया पालना नही करने पर 41 ख सीआरपीसी का नोटिस देकर हिरासत पुलिस लिया गया। .....इत्यादि

02. उक्त तहरीरी रिपोर्ट पर मु.नं. 170/2016 अन्तर्गत धारा 4/25 आर्म्स एक्ट दर्ज किया जाकर अनुसंधान किया गया व बाद अनुसंधान अभियुक्त रायसिंह के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

03. अभियुक्त के उपस्थित आने पर उन्हें धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो अभियुक्त ने आरोपों से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. **अभियोजन पक्ष के साक्षीगण की सूची**

अभियोजन साक्षीगण

रैंक	नाम
पी.डब्ल्यू–1	मुकेश कुमार
पी.डब्ल्यू–2	सरदार खां
पी.डब्ल्यू–3	राकेश कुमार
पी.डब्ल्यू–4	सुरेश कुमार
पी.डब्ल्यू–5	बृजराजसिंह

अभियोजन पक्ष के प्रदर्श की सूची

अभियोजन पक्ष

क्रमांक	प्रदर्श क्रमांक	विवरण
1.	प्रदर्श पी 1	फर्द चैकिंग व जप्ती
2.	प्रदर्श पी 2	फर्द गिरफतारी अभियुक्त रायसिंह
3.	प्रदर्श पी 3	फर्द नक्शामौका

4.	प्रदर्श पी 4	चाक एफआईआर
5.	प्रदर्श पी 5	मालखाना रजिस्टर की प्रति
6.	प्रदर्श पी 6	राजस्थान सरकार की अधिसूचना

05. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने पर अभियुक्त का परीक्षण धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् किया गया, तो अभियुक्त ने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य को असत्य होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। बचाव साक्ष्य पेश नहीं करना जाहिर किया, जिसपर साक्ष्य सफाई बन्द की गई।

06. **बचाव पक्ष के साक्षीगण की सूची**

बचाव साक्षीगण

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य का प्रकार** **(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षीण)**
निल	निल	निल

बचाव पक्ष के प्रदर्श की सूची

बचाव पक्ष

क्रमांक	**प्रदर्श क्रमांक**	**विवरण**
निल	निल	निल

07. बहस अन्तिम सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाकर यथोचित दण्ड से दण्डित किया जावे। इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि अभियुक्त को इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया था। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषमुक्त घोषित किया जावे।

08. उभय पक्षकारान के तर्कों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

01. "आया दिनांक 8–11–2016 को समय करीब 5.10 पीएम पर ग्राम मौजा उमरिया तिराहा पर अभियुक्त के चेतन्य आधिपत्य कब्जे से एक धारदार अवैध लोहे की तलवार मिली जिसकी फल की लंबाई 65 सेमी व हत्थे की लंबाई 12 सेमी हुई जिसका आपके पास कोई वैध अनुज्ञापत्र नही था? ''

02. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डित हो?

09. इस संबंध में गवाह पी.ड. 5 बृजराजसिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 08.11.2016 को पुलिस थाना भालता में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन वह, कानि. मुकेश कुमार, राकेश मय सरकारी जीप चालक देवेश कुमार मय अनुसंधान सामग्री के वास्ते गस्त व नाकाबंदी हेतु थाने से रवाना होकर गस्त करते हुए उमरिया जोड़ पर पहुंचे जहां मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति उमरिया जोड़ पर नंगी तलवार लेकर खड़ा है जो आने–जाने वालों को परेशान कर रहा है। उक्त सूचना से उसने हमराही जाप्ते को अवगत कराया व सांकेतिक स्थान पर पहुंचे जहां मुखबीर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे डिटेन किया जो घबराया हुआ था। जिसने पीठ के पीछे हाथ कर रखे थे जिनमें अवैध वस्तु होने का संदेह हाने पर उसने नाम पता पूछा तो उसने अपना रायसिंह तंवर पुत्र प्रभुलाल निवासी टोलखेड़ा का होना बताया। जिसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से मुकेश कानि. को स्वतंत्र गवाह लाने भेजा कोई स्वतंत्र गवाह नही मिलने पर राकेश व मुकेश को स्वतंत्र गवाह मामूर किया। फिर उसने रायसिंह की तलाशी ली तो पीछे पेंट की अंट में बनियान के नीचे छुपाई हुई नंगी तलवार मिली जिसमें लोहे की मुठ थी जिसमें धार थी। धारदार फल की लम्बाई 65 सेमी व हत्थे की लम्बाई 12 सेमी पाई जिसे कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो नही होना बताया। तलवार को मौके पर जप्त कर फर्द चैकिंग व जप्ती मौके पर बनाई जो प्रदर्श पी1 है जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जरिये फर्द प्रदर्श पी2 से रायसिंह को गिरफ्तार किया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। जप्तशुदा तलवार एवं गिरफ्तारशुदा मुलजिम को थाने पर लाकर उसने मय फर्दात् रिपोर्ट पेश करी जिस पर मुकदमा नम्बर 170/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध कर तफ्तीश श्री सुरेश कुमार हैड कानि. के जिम्मे हुई थी, जिन्होंने घटनास्थल का नक्शा मौका उसकी निशादेही से बनाया था जो प्रदर्श पी3 है जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। नोट– प्रकरण में जप्तशुदा वजह सबूत माननीय एमजेएम अकलेरा के आदेश क्रमांक 262 दिनांक 25.02.2017 की पालना में नियमानुसार धारदार तलवार को नष्ट कर दिया गया है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि वह थाने से सरकारी जीप से रवाना हुए थे। घटनास्थल थाने से 8 किमी के लगभग दूरी पर है। वह थाने से 4.30 पीएम पर रवाना हुए थे। उन्हें घटनास्थल पर पहुंचने में आधा घंटा करीब लगा था। सरकारी जीप को

चालक देवेश चला रहा था। जहां पर घटनास्थल है वहां पर चौराहा है, लोग आते जाते रहते है। घटनास्थल से कुछ दूरी पर यात्री प्रतिक्षालय बना हुआ है। थाने से रवाना होते समय रवानगी डाली थी जो पत्रावली में होगी। उसने प्लास्टिक के पैमाने से तलवार का नाप किया था। मुलजिम की तलाशी बाबत् नोटिस नही दिया था। मुलजिम ने तलवार कमर के पीछे छिपा रखी थी जो धारदार थी। जब उसने मुलजिम की तलाशी ली तब मुलजिम के खरोंच या चोट के निशान नहीं थे।

10. इस संबंध में गवाह पी.ड. 1 मुकेश कुमार के बयानों का अवलोकन करें तो उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 8.11.16 को पुलिस थाना मालता में कानि० के पद पर कार्यस्त था। उस दिन श्री बृजराज सिंह हैड स्वहथ के साथ वह तथा कानि राकेश कुमार मय जीप सरकारी चालक देवेश कुमार मय अनुराधान सामग्री के वास्ते गश्त एंव अवैध कार्यों एंव नाकाबदी कार्यों हेतु थाने से 4.30 बजे रखाना होकर गश्त कस्बा भालता करते हुए उमरिया रोड पर पहुंचे जहां जरिए मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति उमरिया जोड पर नगी तलवार लेकर खड़ा है जो आने जाने वालो को परेशान कर रहा है। उक्त सूचना पर रवाना होकर सांकेतिक स्थान पर पहुंचे। जहां मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे जाप्ता की मदद से डिटेन किया जो घबराया हुआ था। जो दायें हाथ पीछे किया हुआ था जिस पर आपत्तिजनक बस्तु का संदेह होने पर उसका नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम रायसिंह पुत्र प्रभूलाल तंवर निवासी टोलखेडा का होना बताया। घबराने का कारण पुछा तो संतोशजनक जवाब नहीं दे पाया। उसको स्वतंत्र गवाह लाने के लिए भेजा परंतु कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने पर जाप्ता में से उसे व राकेश को स्वतंत्र गवाह मामुर किया व रायसिंह की तलाशी ली तो उसकी पैंट की अंट में छिपाई हुई एक नगी तलवार मिली जिसका नाप किया तो फल की लंबाई 65 सेमी व हत्थे की लंबाई 12 सेमी थी जिसे रखने का अनुज्ञापत्र चाहा तो नहीं होना बताया। इस पर तलवार को मौके पर जरिए फर्द जप्त किया चैकिंग व जप्ती बनायी जो प्रदर्श पी। है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफतारी प्रदर्श पी2 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शामौका प्रदर्श पी3 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि वह सरकारी जीप से गये थे। वह जीप में पीछे बैठा था उसके पास राकेश बैठा हुआ था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि घटना स्थल पर आम रास्ता है तथा बकानी जाने वाला रास्ता है। तलवार दांये हाथ की आड़ में छिपा रखी थी। तलवार नंगी थी। मुलजिम के हाथ पर चोटों के निशान हो तो उसे पता नही है। संपूर्ण कार्यवाही में कितना समय लगा था उसे पता नहीं है। स्वतंत्र गवाह लेने के लिए वह गया था। वह

4.45 बजे स्वतंत्र गवाह लाने के लिए गया था। इस सुझाव से इन्कार किया कि मुलजिम के पास कोई तलवार नहीं मिली हो और उन्होंने मुलजिम को झूठा फंसाया हो।

11. फिर गवाह पी.ड. 3 राकेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 08.11.2016 को पुलिस थाना भालता में कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन बृजराज सिंह हैड साहब के साथ वह तथा कानि. मुकेश कुमाम मय सरकारी जीप चालक देवेश कुमार मय अनुसंधान सामग्री के वास्ते गस्त व नाकाबंदी हेतु थाने से रवाना होकर गस्त करते हुए उमरिया जोड़ पर पहुंचे जहां मुखबीर सूचना मिली कि एक व्यक्ति उमरिया जोड़ पर नंगी तलवार लेकर खड़ा है जो आने–जाने वालों को परेशान कर रहा है। उक्त सूचना से हैड साहब ने अवगत कराया व सांकेतिक स्थान पर पहुंचे जहां मुखबीर द्वारा बताए हुलिए का व्यक्ति नजर आया जो पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगा जिसे डिटेन किया जो घबराया हुआ था जिसने पीठ के पीछे हाथ कर रखे थे जिनमें अवैध वस्तु होने का संदेह होने पर नाम पता पूछा तो उसने अपना रायसिंह तंवर पुत्र प्रभुलाल निवासी टोलखेड़ा का होना बताया जिसकी तलाशी लेना आवश्यक होने से मुकेश को स्वतंत्र गवाह लाने भेजा कोई स्वतंत्र गवाह नही मिलने पर उसे व मुकेश को स्वतंत्र गवाह मामूर किया। फिर हैड साहब ने रायसिंह की तलाशी ली तो पीछे पेंट की अंट में बनियान के नीचे छुपाई हुई नंगी तलवार मिली जिसमें लोहे की मुठ थी जिसमें धार थी। धारदार फल की लम्बाई 65 सेमी व हत्थे की लम्बाई 12 सेमी पाई जिसे कब्जे में रखने बाबत् अनुज्ञा पत्र चाहा तो नही होना बताया। तलवार को मौके पर जप्त कर फर्द चैकिंग व जप्ती मौके पर बनाई जो प्रदर्श पी। है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जरिये फर्द प्रदर्श पी2 से रायसिंह को गिरफ्तार किया जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। इस मामले में अनुसंधान अधिकारी ने उसकी निशादेही से नक्शा मौका बनाया जो प्रदर्श पीउ है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि वह थाने से 4.30 बजे रवाना हुए थे और घटनास्थल पर 5.10 पर पहुंचे थे। थाने से घटनास्थल 5 किमी है। वह थाने से सरकारी जीप से रवाना हुए थे। सरकारी जीप देवेश चालक चला रहा था। वह गाडी में पीछे बैठा हुआ था और मुकेश उसके सामने बैठा था। घटनास्थल आम चौराहा है जहां लोग आते–जाते रहते है और बकानी जाने वाले साधन भी आते–जाते रहते है। घटनास्थल के पास ही एक यात्री प्रतिक्षालय भी है। मुलजिम की तलाशी लेने के बाद उसका धारा 50 का नोटिस दिया था। पत्रावली में नोटिस लगा हुआ है या नहीं इसकी जानकारी मुझे नही है। मुलजिम की तलाशी ली तब उसके कोई चोट निशान हो तो उसने नही देखे। उक्त तलवार पर कवर लगा हुआ नही था। तलवार कमर के पीछे छिपा रखी थी।

जहां तलवार छिपा रखी थी वहां मुलजिम के चोट के निशान नही थे। उन्होंने स्वतंत्र गवाह की तलाश वही आस–पास ही करी थी। आस–पास घना जंगल नहीं है।

12. फिर गवाह पी.ड. 2 सरदार खां ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 10.11.2016 को पुलिस थाना भालता में थानाधिकारी के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नं. 170/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की पत्रावली बाद अनुसंधान श्री सुरेश हैड कानि द्वारा उसके समक्ष पेश की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसने आरोपी रायसिंह के विरूद्ध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में बाद कता चार्ज शीट आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था। जिसकी चाक एफआईआर प्रदर्श पी 4 है जिस पर ए से बी गोवर्धनलाल एएसआई व सी से डी बृजराज कानि के हस्ताक्षर है। दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उन्होंने झूठी चार्ज शीट बनाकर पेश की हो।

13. फिर गवाह पी.ड. 4 सुरेश कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि दिनांक 08.11.2016 को पुलिस थाना भालता में हैड कानि. के पद पर कार्यरत था। उस दिन मुकदमा नम्बर 170/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की एफआईआर मय फर्दात् अनुसंधान हेतु उसे प्राप्त हुई। दौराने अनुसंधान उसने गवाह परिवादी बृजराज सिंह, कानि. मुकेश कुमार, राकेश कुमार के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए। परिवादी बृजराज सिंह की निशादेही से घटनास्थल उमरिया जोड़ का नक्शा मौका प्रदर्श पी3 गवाह मुकेश कुमार और राकेश कुमार के समक्ष बनाया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। प्रकरण में जप्तशुदा तलवार को जमा मालखाने करवाने बाबत् मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी5 तथा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति प्रदर्श पी6 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करी। उसने उसके अनुसंधान से मुलजिम रायसिंह पुत्र प्रभुलाल के खिलाफ धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित पाए जाने पर पत्रावली थानाधिकारी को सुपुर्द की।

दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि नक्शामौका घटना के दूसरे दिन बनाया था जो 9 बजे सुबह बनाया था। इस सुझाव को स्वीकार किया कि नक्शामौका बनाने गए थे तब फरियादी और गवाह साथ ही गये थे, जो कि वह थाने से 8.30 ए.एम पर सरकारी गाड़ी से रवाना हुए थे। घटनास्थल आम रास्ता है जहां भालता, बकानी जाने वाले लोग बैठे थे। इस सुझाव से इन्कार किया कि उन्होंने वहां पर नक्शा मौका पर किसी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नही कराये हो तथा उसने गवाह के बयान उनके कहे अनुसार लेखबद्ध नही किए हो। इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने मुलजिम के विरूद्ध झूठी तफ्तीश की हो और टारगेट पूरा करने के लिए मुलजिम को झूठा

फंसाया हो। उसके साथ में मुकेश और राकेश गवाह के रूप में गए थे। गाड़ी को अन्य चालक चला रहा था।

14. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर आई साक्ष्य के अवलोकन से जाहिर होता है कि इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष को अभियुक्त पर आरोपित धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अपराध प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से जप्ती को साबित करना आवश्यक है। इस संबंध में फर्द जप्ती जो कि प्रदर्श पी1 है, का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। फर्द जप्ती प्रदर्श पी1 के मुख्य गवाह पीड–1 मुकेश कुमार, पीड–2 राकेश कुमार व पीड–3 बृजराजसिंह को परीक्षित कराया गया। जो कि पुलिसकर्मी है जिन्होंने अपने बयानों में फर्द जप्ती प्रदर्श पी1 पर स्वंय के हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। यहां न्यायालय के मत में केवल अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित करवाये गये गवाह सरकारी होने मात्र से ही अभियोजन कहानी पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है जब तक कि अभियुक्त की ओर से कोई खण्डनीय साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गयी हो। फर्द जप्ती प्रदर्श पी1 में यह अंकित है कि मुखबीर द्वारा बताये गये व्यक्ति उमरिया जोड पर खडा नजर आया जिसकी तलाशी लिए जाने पर उक्त शख्स के पीठ के पीछे पेंट की अन्ट मे बनियान के नीचे छिपाई हुई नंगी तलवार लोहे की मिली जो धारदार थी जिसका नाप किया तो धारदार की लंबाई 65 सेमी व हत्थे की लंबाई 12 सेमी होना बताया गया है। गवाह पीड–1 मुकेश कुमार ने न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में यह कथन करता हैं कि दिनांक 8–11–2016 को मुखबीर द्वारा बताये हुलिये का एक व्यक्ति उमरिया जोड पर मिला जिसकी तलाशी लिए जाने पर उसकी पेंट की अंट में छिपाई हुई एक नंगी तलवार मिलने का कथन किया। उक्त गवाह ने दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में यह कथन किया कि मुलजिम ने तलवार दांये हाथ की आड में छिपा रखी थी। ऐसे में उक्त गवाह विरोधाभासी कथन करता है। गवाह पीड–2 राकेश कुमार न्यायालय के समक्ष मुख्य परीक्षण में यह कथन करता हैं कि अभियुक्त रायसिंह की तलाशी लिए जाने पर उसके पीछे पेंट की अंट मे बनियान के नीचे छुपाई हुई नंगी तलवार मिली। जबकि दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने यह कथन किया कि मुलजिम ने तलवार कमर के पीछे छिपा रखी थी। उक्त गवाह ने यह भी कथन किया कि मुलजिम की तलाशी लेने के बाद उसको धारा 50 का नोटिस दिया था। गवाह पीड–5 बृजराजसिंह ने अपने बयानो में यह कथन किया कि अभियुक्त रायसिंह की तलाशी ली तो उसक पीछे पेंट की अंट में बनियान के नीचे छुपाई हुई नंगी तलवार मिली। दौराने जिरह गवाह ने यह कथन किया कि मुलजिम ने तलवार कमर के पीछे छिपा रखी थी जो धारदार थी। मुलजिम की तलाशी बाबत उसे नोटिस नही दिया था।

15. ऐसे में पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि फर्द जप्ती के गवाहन विरोधाभासी कथन करते हैं। ऐसी स्थिति में फर्द जप्ती पूर्ण रूप से साबित नही होती है। फर्द जप्ती के

गवाह पीड–1 मुकेश कुमार, पीड–2 राकेश कुमार व पीड–3 बृजराजसिंह के बयानों में तलवार संबंधित जप्ती बाबत अलग अलग कथन किए गए है। ऐसे में गवाहन के बयानों में विरोधाभास प्रकट होता है तथा फर्द जप्ती प्रदर्श पी1 की प्रक्रिया भी संदेहास्पद प्रतीत होती है।

16. ऐसे में अभियोजन अधिकारी अभियुक्त रायसिंह पुत्र प्रभूलाल उम्र 42 साल निवासी रामपुरिया टोलखेडा थाना भालता जिला झालावाड (राज.) के विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट को साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त रायसिंह पुत्र प्रभूलाल उम्र 42 साल निवासी रामपुरिया टोलखेडा थाना भालता जिला झालावाड (राज.) को आरोपित अपराध धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

17. अतः **अभियुक्त रायसिंह पुत्र प्रभूलाल उम्र 42 साल निवासी रामपुरिया टोलखेडा थाना भालता जिला झालावाड (राज.)** को आरोपित अपराध **धारा 4/25 आर्म्स एक्ट** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त के पूर्व के हाजरी बाबत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

18. अभियुक्त को यह भी आदेश दिया जाता है कि वह प्रकरण में अपील होने की सूरत में माननीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु **धारा 437 क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत 10,000–10,000/– के जमानत मुचलके** पेश कर तस्दीक करावें जो कि बाद कराने तस्दीक छः माह तक प्रवर्तन में रहेंगे।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अकलेरा झालावाड़ (राज.)

19. निर्णय आज दिनांक 7–03–2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया एवं हस्ताक्षरित किया गया।

(लक्की सोनी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
अकलेरा झालावाड़ (राज.)

प्रमाण पत्र

निर्णय में किए गए सभी संशोधनों को अपलोड करने से पूर्व समाविष्ट कर लिया गया है।

SAKSHI CHAWLA

Steno Gr.III
"Authenticate document"
Digitally signed by SAKSHI CHAWLA
Date: 2026.03.09 16:05:44 +0530

नोट:– यह प्रतिलिपि प्रार्थी/अधिवक्ता की जानकारी के लिए है। सत्यापित प्रतिलिपि न्यायालय से प्राप्त कर सकते हैं।